अध्याय III- रक्षा मंत्रालय

3.1 मल नावों की सुपुर्दगी न होना

समुद्री प्रदूषण से बचने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया मल नावों का अधिग्रहण पोत प्रांगण का अपेक्षित क्षमता निर्धारण करने में भारतीय नौसेना की विफलता के कारण अभी फलीभूत होना है जिसके परिणामस्वरूप नावों के निर्माण पर ₹25.97 करोड़ खर्च करने के बाद भी समुद्री प्रदूषण की रोक का मुख्य उद्देश्य पूरा नही हुआ।

भारतीय नौसेंना (आईएन) ने समुद्र/बन्दरगाह पर युद्धपोतों तथा अन्य नौकाओं से मल को इकट्ठा करने, उसका उपचार तथा विसर्जन करने की क्षमता वाली छः नावो का प्रवेश प्रस्तावित किया (नवम्बर 2007)।

पांच पोत प्रांगणों[1], जो तकनीकी रुप से स्वीकार्य थे और उन्होंने अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां प्रस्तुत की थी, में से मैसर्स भारती शिपयार्ड लिमिटेड (बीएसएल), मुम्बई, निम्नतम बोलीदाता, के साथ ₹102.67 करोड़ की कुल लागत पर एक अनुबंध किया गया था (मार्च 2012)। पहली मल नाव के लिए सुपुर्दगी कार्यक्रम अनुबंध पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 18 महीने अर्थात् सितम्बर 2013 तक था और इसके बाद, तीन महीने के अन्तराल पर एक मल नाव सुपुर्द की जानी थी।

मल नावों की सुपुर्दगी तथा मल को इकट्ठा करने तथा उसके उपचार हेतु आईएन द्वारा अपनाई गई प्रणाली के संबंध में एक लेखापरीक्षा प्रश्न (जनवरी 2015) पर, आईएन ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (मार्च 2015) कि कोई भी मल नाव सुपुर्द नही की गई थी और

[1] (क) मैसर्स भारती शिपयार्ड लिमिटेड, मुम्बई, (ख) मैसर्स शॉफ्ट शिपयार्ड, ठाणे, (ग) मैसर्स मॉडेस्ट शिपयार्ड, मुम्बई, (घ) मैसर्स कॉर्पोरेट शिपयार्ड, कोलकाता, (ड) मैसर्स टेम्बा शिपयार्ड, चेन्नई।

यह भी कहा कि मल, जहाज़ों के आन्तरिक टैंकों में इकट्ठा किया गया था तथा उसे महासागर में विसर्जित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा (अक्तूबर 2015), कि आईएन ने मैसर्स बीएसएल के साथ अनुबंध करने (मार्च 2012) से पूर्व उसकी क्षमता का आकलन[2] नहीं किया, हालांकि शिपयार्ड का पिछला क्षमता आकलन फरवरी 2009 में किया गया था, जिसमें दो वर्ष की अवधि के पश्चात् (फरवरी 2011) समीक्षा की सिफारिश की गई थी। लेखापरीक्षा ने अभिलेखों से भी देखा (अक्तूबर 2015) कि आईएन ने मैसर्स बीएसएल की क्रेडिट रेटिंग मंगाई थी (फरवरी 2013) और अपने उत्तर में बीएसएल ने आईएन को सूचित किया था (मार्च 2013) कि वह 2009 से द्रवता का सामना कर रही थी जिसके कारण पोत प्रांगण एक अस्वास्थ्यकर वित्तीय स्थिति मे चला गया था और वह जनवरी 2012 से ऋण पुनर्गठन से गुज़र रहा था। यदि आईएऩ ने अपेक्षित क्षमता आकलन फरवरी 2011 में ही कर लिया होता, तो उसे 2009 से ही पोत प्रांगण की वित्तीय स्थिति का पता लग जाता और वह मार्च 2012 में मैसर्स बीएसएल के साथ अनुबंध करने से बच जाता।

मल नावों की सुपुर्दगी की तिथि पर लेखापरीक्षा की और लेखापरीक्षा टिप्पणियों (अक्तूबर 2015) के उत्तर में, आईएन ने कहा (दिसम्बर 2015) कि प्रस्तावित तिथि अब 31 मई 2016 से 31 दिसम्बर 2016 के बीच संशोधित कर दी गई थी।

इस प्रकार, मार्च 2012 में अनुबंध करने से पूर्व, फरवरी 2011 में पोत प्रांगण की क्षमता का निर्धारण करने में आईएन की विफलता के परिणामस्वरूप नावों कि सुपुर्दगी नहीं हुई तथा अनुपचारित मल का महासागर में विसर्जन किया गया जिसके कारण समुद्री प्रदूषण की रोकथाम का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹25.97 करोड़ के भुगतान (मार्च 2015) के बाद भी, निकट भविष्य में छः नावों की सुपुर्दगी की संभावना प्रतीत नहीं

[2] क्षमता आकलन, अपेक्षित पोत निर्माण क्रियाककलाप शुरू करने के लिए शिपयार्ड की क्षमता निर्धारित करने के लिए जहाज़/यार्ड क्राफ्ट के लिए आरएफपी जारी करने से पहले किया जाता है। आकलन में पोत प्रांगण की तकनीकी क्षमता तथा वित्तीय शक्ति शामिल होती है। क्षमता आकलन की वैद्यता दो वर्ष के लिए होती है।

होती क्योंकि छः में से चार नाव अभी योजना की अवस्था[3] में थी तथा शेष दो प्रारम्भिक निर्माण अवस्था[4] में थी (दिसम्बर 2015)।

मामला मंत्रालय को भेजा गया था (दिसम्बर 2015) उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।

3.2 एक विमान के लिए युद्ध-सामग्री की अधिप्राप्ति पर ₹9.97 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

इस तथ्य के बावजूद कि एक पहले अनुबंध के अन्तर्गत विकल्प खण्ड 27 मार्च 2010 तक वैध था, मंत्रालय ने फर्म को मूल्य वृद्धि देते हुए, मिग 29के/केयूबी हेतु यूद्ध-सामग्री की आपूर्ति के लिए फर्म के साथ 8 मार्च 2010 को एक ठेका किया, जो केवल पहले अनुबंध के विकल्प खण्ड की वैधता की समाप्ति पर ही भुगतान-योग्य थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹9.97 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मिग 29के/केयूबी के लिए युद्ध-सामग्री, सहायक उपकरण तथा सेवाओं की आपूर्ति के लिए रशियन एयरक्राफ्ट कार्पोरेशन, मिग (आरएसी मिग) के साथ एक अनुबंध किया गया (मार्च 2006)। अनुबंध (मार्च 2006) में एक विकल्प खण्ड था जो क्रेता को अनुबंध की प्रभावी तिथि से चार वर्ष के अन्दर अर्थात 27 मार्च 2010 तक उन्ही शर्तों पर उसी फर्म से अतिरिक्त खरीद का अधिकार प्रदान करता था। अनुबंध में प्रावधान था कि 27 मार्च 2010 तक विकल्प खण्ड की समाप्ति के पश्चात, अनुबंधित कीमतें 2.5 प्रतिशत वार्षिक पर मूल्यवृद्धि के द्वारा समायोजित कर ली जाएगी।

रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने 27 मार्च 2010 तक विकल्प खण्ड के अन्तर्गत मैसर्स आरएसी मिग से युद्ध-सामग्री एवं सहायक उपकरण की अधिप्राप्ति हेतु मंत्रिमंडल सुरक्षा समिति (सीसीएस) का अनुमोदन प्राप्त किया (दिसम्बर 2009)।

---

[3] कुल पन्द्रह अवस्था भुगतानों में से, अवस्था तीन भुगतान में अनुबंध पर हस्ताक्षर होने पर 10%, 10 % इस्पात का ऑर्डर देने के प्रमाण, निर्माण विनिर्देशनों तथा जीए आरेखणों को अन्तिम रूप देने, कार्डिनल तिथि तथा उत्पादन पीईआरटी प्रस्तुत करने पर तथा 5% आरेखण कार्यक्रम प्रस्तुत करने तथा सभी प्री लांच मदों के ऑर्डर पर शामिल है।

[4] अवस्था पांच में अवस्था तीन के ब्यौरे, तथा 10% जहाज़ के ढांचे के 60% निर्माण तथा ढांचे के 60% निर्माण पर लागू सहायक सीटिंग के पूरा होने पर शामिल है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूएसडी 2,136,962 (₹9.97 करोड़) की वृद्धि सहित युद्ध-सामग्री तथा सहायक उपकरण की खरीद के लिए यूएसडी 148,755,486.50 (₹693.94 करोड़) की लागत पर 8 मार्च 2010 को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह सही नही था क्योंकि युद्ध-सामग्री अनुबंध के अन्तर्गत विकल्प खण्ड 27 मार्च 2010 तक वैध था।

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने कहा (नवम्बर 2015) तथा फरवरी 2016) कि मूल्य-वृद्धि का कारण फाईल नोटिंग में नहीं पाया गया था, और इसलिए, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकी।

इस प्रकार, अनुबंध के अन्तर्गत विकल्प खण्ड की वैधता के अन्दर मूल्य-वृद्धि के माध्यम से ₹9.97 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया था (मार्च 2006)।

मामला मंत्रालय को भेजा गया था (जनवरी 2016), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2016)।